खुद भर सकते है एडवांस टैक्स

मधुसूदन अग्रवाल

इनकम टैक्स वह टैक्स है जो साल में एक बार आंकलन (असेसेड) किया जाता है और टैक्स भरा जाता है। यह फाइनेंसियल ईयर जो एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है उस पर एप्लीकेबल होता है। इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग असेसीस के लिए टैक्स भरने और रिटर्न फाइलिंग का अलग अलग समय तय किया हुआ है। जैसे की 31 जुलाई जहां ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है और 31सितम्बर जहां ऑडिट एप्लीकेबल है।

इससे सरकार को साल में एक ही बार टैक्स मिल रहा था जिसकी वजह से सरकार को अपने खर्चे करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था. इसीलिए एडवांस टैक्स का प्रावधान एक्ट में लाया गया। इस में टीडीएस नाम से एक और प्रावधान है।

एडवांस टैक्स और टीडीएस सरकार के लिए टैक्स एडवांस में लेने का एक जरिया है। एडवांस टैक्स और टीडीएस में यह अंतर है की एडवांस टैक्स आपकी आमदनी पर आप खुद टैक्स भरते हैं और टीडीएस में कोई तीसरा व्यक्ति आपकी आमदनी का आंकलन करके आपको देने वाले हिसाब में से काट कर आपकी तरफ से सरकार को टैक्स भरता है।

एडवांस टैक्स का अर्थ है आप सरकार को पूरा साल टैक्स भरेंगे। आपकी आमदनी के अनुसार आपको साल भर टैक्स भरते रहना होगा. इसे पे एस यू एर्न स्कीम भी कहते हैं.

एडवांस टैक्स तब भरा जाता है जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपयों से ज्यादा एक फाइनेंसियल ईयर में हो. यह उसी साल में भरना चाहिए जिस साल में आमदनी हो. वर्तमान फाइनेंसियल ईयर में होने वाली आमदनी और उस पर लगने वाले टैक्स का अवलोकन करें और यदि आपका टैक्स 10,000 रुपयों से ऊपर आता है तो एडवांस टैक्स भरें।

वरिष्ठ व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है, तो उन्हें एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि उनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। यह छुट केवल इनकम टैक्स के तहत आर्डिनरी रेसिडेंट को ही उपलब्ध है यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति नॉन रेसीडेंट है तो उसे एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा।

हर प्रकार की इनकम पर एडवांस टैक्स लगेगा इसमें कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम भी शामिल है। एडवांस टैक्स भारत में होने वाली सभी इनकम पर लगेगा। किसी की भी रसीडेन्टिअल स्टेटस कुछ भी हो सकती है।

एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपकी इनकम फाएन्सिअल ईयर के लिए एस्टीमेट कीजिए. यदि आप सैलरीड एम्पलायी हैं तो आपकी सैलरी पर साधारणतय आपका एप्लायर टीडीएस काटता है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरुरत नहीं है यदि वो टीडीएस नहीं कटता है तो आपको सैलरी इनकम पर एडवांस टैक्स भरना होगा।

ध्यान रखें की सैलरी एम्पलाई जिनका टीडीएस कटता है उन्हें भी एडवांस टैक्स भरना है यदि उनकी और कोई इनकम है जैसे एफडी और बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट , किराये की आमदनी , कैपिटल गेन, बिज़नेस या प्रोफेशन की इनकम और किसी भी प्रकार की इनकम जिसमें गिफ्ट भी हो सकता है।

साधारणतय लोग फिक्स्ड डिपाजिट और सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम पर ध्यान नहीं देते. आपका बैंकर आपकी इंटरेस्ट इनकम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है यदि वो टीडीएस डेडक्ट करे या न करे और यदि आप फॉर्म 15G / 15H भरें या न भरें. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय या एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करते समय इस इनकम का ध्यान रखें।

साधारणतय लोग एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करते समय शेयर्स और म्युच्युअल फण्ड से होने वाले शार्ट टर्म कैपिटल गेन को नजरअंदाज करते है। पहले फॉर्म 26एएस डाउनलोड करें और आपकी रिपोर्टेड इनकम देखें फिर आपको उस फाइनेंसियल ईयर में होने वाली इनकम का आंकलन करें और एडवांस टैक्स तय करें।

एडवांस टैक्स 3 इन्स्टॉलमेंट में नॉन कॉरपोरेट असेसीस को और 4 इन्स्टॉलमेंट में कॉरपोरेट असेसीस को भरना है

एडवांस टैक्स भरने की नियत तिथि

नियत तिथि	एडवांस टैक्स का % (कॉरपोरेट अस्सेस्सी)	एडवांस टैक्स का % (नॉन कॉरपोरेट अस्सेस्सी)
15 जून	15%	0%
15 सितम्बर	45%	30%
15 दिसंबर	75%	60%
15 मार्च	100%	100%

एडवांस टैक्स भरते समय कोई भी डाक्यूमेंट्स सबमिट करने की जरुरत नहीं है। अगर आपकी आंकलन की हुई इनकम में परिवर्तन होता है तो आप अपनी इनकम फिर से आंकलन करके एडवांस टैक्स की अगली इन्स्टॉलमेंट भरते समय एडजस्ट कर सकते है।

यदि एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि छूटी है तो आप अगले दिन एडवांस टैक्स भर सकते हैं. नॉन कॉरपोरेट असेसी बैंक में जा कर या ऑनलाइन भर सकते है कॉरपोरेट असेसी ऑनलाइन ही भर सकते है।

यदि आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया है तो आप रिफंड ले सकते है।

असेसिंग ऑफिसर आपको एडवांस टैक्स भरने के लिए सेक्शन 210 में नोटिस दे सकता है . वह उस नोटिस में एडवांस टैक्स भरने की राशि भी निर्धारित कर सकता है. इस आर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं फाइल कर सकते हैं लेकिन यदि आप का अवलोकन कम है तो असेसिंग ऑफिसर को आप पत्र लिख सकते हैं।

एडवांस टैक्स भरने का आर्डर केवल उस फाइनेंसियल ईयर के 28 फरवरी तक ही जारी कर सकते हैं और आर्डर देने के लिए पिछले किसी एक साल का असेसमेंट होना जरुरी है।

31 मार्च से पहले किया हुआ कोई भी पेमेंट उस फाइनेंसियल ईयर के लिए एडवांस टैक्स ही माना जाएगा।

अगर किसी कारणवश एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं तो सेक्शन 234बी और 234सी में ब्याज लगेगा. अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं या कम भरते हैं नियत तिथि से पहले तो पीनल इंटरेस्ट लगेगा।

इनकम टैक्स के सेक्शन 234बी के अनुसार इंटरेस्ट लगेगा अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते या 90 % से कम भरते हैं. यह इंटरेस्ट साधारण इंटरेस्ट होगा जो कि 1 % प्रति माह लगेगा. यह इंटरेस्ट अगले फाइनेंसियल ईयर के 1 अप्रैल से लेकर सेक्शन 143 (1) में इनकम निर्धारित होने तक या रेगुलर असेसमेंट होने तक लगेगा. एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए महीने के 1 दिन के लिए भी पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 234सी के तहत इंटरेस्ट तब लगता है जब एडवांस टैक्स कम या नहीं भरा जाता है. यह इंटरेस्ट भी साधारण इंटरेस्ट होगा जो कि 1 % प्रति माह नियमित राशि पर नियमित समय के लिए लगता है.

यदि एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि छूटी है तो आप अगले दिन एडवांस टैक्स भर सकते हैं. इस पर आपको कोई पीनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा।

ध्यान रहे

एडवांस टैक्स प्रेसमटिव इनकम सेक्शन 44एडी और 44एई पर नहीं लगता। वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है उन्हें एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है।

एडवांस टैक्स चालान ITNS 280 में भरना होगा. चालान में माइनर हेड कोड 100 और मेजर हेड कोड 0020 कम्पनीज के लिए और 0021 बाकि सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। सैलरीड एम्पलाई अपनी सैलरी इनकम के आलावा अन्य इनकम एम्प्लायर को टीडीएस के लिए बता सकते हैं जिससे एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप अपना फॉर्म 26AS समय समय पर देखते रहें। एडवांस टैक्स भरते समय असेसमेंट ईयर का ध्यान रखें।

E-mail :
teammsagarwal@gmail.com
Website : camsagarwal.com